

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(५७)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से हो किया जावे न
कि विसी अब पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सवित्रा हो।



ग्राम : घूनीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 320

दिनांक:...10/05/13.

०७५१-४०५३५१

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एम.पी.एस.शिक्षा महाविद्यालय बौद्धी ग्वालियर () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित पी.जी.डी.टी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारें प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत नियमानुसार नियीक्षण समिति का गठन किया है:-

1. प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूयोर्काइंस अ.शा., जी.वि.वि., ग्रा. (संयोजक) (9425110063)
2. प्रो. अन्धू. चतुर्वेदी, आचार्य, एम.आई.टी.एस. कॉलेज, ग्वालियर
3. प्रो. सरिता वर्मा, आचार्य, शा. एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर

नियीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारें अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये नियमानुसार नियीक्षण समिति द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का नियीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में नियीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय नियीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का नियीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा करकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में नियीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यकृत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रवाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से नियीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। नियीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वाया देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का नियीक्षण करावें। उक्त नियीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)